

NRI :- Non Resident of India.

↳ यह भारत का नागरिक होता है।

↳ इसका निवास स्थान विदेश में है।

↳ वर्ष में - 180 दिन / 6 माह

↳ इसे मतदान का अधिकार होगा।

PIO ÷ Person of Indian Origin.

भारतीय उद्भव के लोग:

⇒ वैधता - 15 वर्ष

↳ PIO एक VISA Card जैसा है।

↳ जिसे भारत वंशी विना विजा के भारत आसकते है।

↳ पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, नेपाल, तथा भारत के लिए लागू नहीं होगा।

OCI :- Over-Seas-Citizenship of India.

समूह पारिय नागरिकता-

↳ मतदान का अधिकार नहीं होगा।

नागरिकता अधि०. 2005 के संशोधन के बाद - PIO को

OCI कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया।

⇒ इस कार्ड की वैधता - आजीवन।

↳ यह कार्ड भारतीय और प्रवासी भारतीय के लिए है।

अस्थायी  
दोहरी नागरिकता  
का प्रावधान  
करता है।

# NRC: National Register - Citizenship

↳ राष्ट्रीय नागरिक पंजीक :-

सन्-1971

→ भारत का जनगणना

→ पाक-बंगला विभाजन

↳ ऐसे लोग जो 1972 से भारत में निवास कर रहे हैं, और भारत की नागरिकता गृहक नहीं किया है, वे भारत के नागरिक नहीं होंगे।

50 साल से

गुलिनग

गैर गुलिनग - 6 साल

गविल-विधेयक

✓ C.A.B - 2018

↓

C.A.A - Act-अधिनियम

Citizenship Amendment-Act

⇒ ऐसे लोग जो 6 वर्ष से  
भारत में निवास कर रहे हैं।

⇒ अर्थात ऐसे, पाकिस्तान, बंगलादेश  
अफगानिस्तान से। गैर मुस्लिम धर्म  
के आये लोग जो भारत में, 1 जुलाई  
2019 के पहले से निवास कर रहे हैं  
भारत के नागरिक होंगे।

I.L.P :- अन्तर्राष्ट्रीय-यात्रा प्रमाण पत्र :-

Inner Line-Permit :- भारत के कुछ क्षेत्र जो चीन सीमा विवाद वाले हैं, उन क्षेत्रों, आने जाने के लिए उस क्षेत्र के कनिश्चर से यात्रा प्रमाण पत्र बनवाना होगा।

यांगलैण्ड, आरुणाचल प्रदेश का एक के अंशतः जिला के लिए।

# Doubt Session

